



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation  
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110002 Panchdeep  
Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या: सी-11/26/1/2012-सतर्कता

दिनांक: 15.10.2012

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक,  
निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.आदर्श अस्पताल/क.रा.बी.नि.अस्पताल,  
सभी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त, नि(चि.)दिल्ली, निदेशक(चि.)नौएडा,  
क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय,  
संयुक्त निदेशक(स्था.5), मुख्यालय ।

**विषय: दिनांक 29.10.2012 से 03.11.2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन ।**

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 28.09.2012 के पत्र संख्या 012/वीजीएल/063 दिनांक 28.09.2012 द्वारा निर्णय लिया है कि इस वर्ष 29.10.2012 से 03.11.2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा । उपर्युक्त पत्र की प्रति तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है ।

इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का मुख्य बिंदु "लोक प्रापण में पारदर्शिता" है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने लोक संगठनों से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए ई-भुगतान इत्यादि आरम्भ करने और इस संबंध में, आने वाले दिनों में उल्लेखनीय उन्नति करने की आशा की है ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार निगम कार्यालयों में दिनांक 29.10.2012 से 03.11.2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा । सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाएं:-

1. दिनांक 29.10.2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा की जाए । इस अवसर पर यह प्रतिज्ञा संबंधित कार्यालय के प्रमुख द्वारा कराई जाए । आयोग के दिनांक 28.09.2012 के पत्र के साथ प्राप्त प्रतिज्ञा संलग्न है ।
2. उचित स्लोगन के साथ कार्यालय के प्रमुख स्थलों पर पोस्टर, बैनर, प्रदर्शन पट्ट इत्यादि प्रदर्शित किए जाएं । प्रदर्शित किए जा सकने वाले कुछ विशेष स्लोगन अनुलग्नक-'क' पर हैं । हालांकि कार्यालय प्रमुख इस अवसर के लिए कुछ नए आकर्षक और उचित स्लोगन भी सृजित कर सकते हैं और उनको शामिल कर सकते हैं । बैनर, पोस्टर इत्यादि सरल नारों के रूप में हिंदी-अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में हो सकते हैं । ये कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानीय


सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002  
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002  
पत्र संख्या: सी-11/26/1/2012-सतर्कता  
दिनांक: 25/10/12

स्तर पर छपवाए जा सकते हैं और शाखा कार्यालय, क.रा.बी.औषधालयों, अस्पतालों और वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त और राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालयों को वितरित किए जा सकते हैं ।

3. राज्य/क्षेत्र/उप क्षेत्र की विभिन्न जगहों पर भ्रष्टाचार निरोधी विषयों पर बैठक, सेमिनार, वाद-विवाद, कार्यशाला, व्याख्यान भी आयोजित/संचालित किए जाएं और कर्मचारियों और नियोक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाएं। कुछेक क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में क.रा.बी.निगम मुख्यालय के अधिकारी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे । इसके साथ-साथ क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्याख्याताओं, सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को प्रतिभागियों को संबोधित करने हेतु आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हैं। संबोधित करने के विषय ये होंगे-ग्राहकोन्मुखी कार्यक्रमों में निपुणता और पारदर्शिता, हमारे द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना, प्रणाली और प्रक्रिया के सुधार के लिए की गई पहल, शिकायत निवारणतंत्र और शिकायत निवारण हेतु उपलब्ध अवसर ।
4. अवधि के दौरान विशेष पत्रिका जारी करना ।
5. स्थानीय स्तर के गैर-सरकारी संगठनों, संस्थाओं और सेवा संघों से सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भाग लेने के लिए अनुरोध करना ।
6. भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समर्पित टोल फ्री हॉटलाइन होना ।
7. सतर्कता जागरूकता सप्ताह को भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों का प्रचार करने में उपयोग करने के प्रयास किए जाएं ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह की समाप्ति पर फोटो, सी.डी.इत्यादि सहित पूर्ण रिपोर्ट दिनांक 26.11.2012 तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य प्रेषित की जाए ताकि मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय सतर्कता, आयोग को दिनांक 15.12.2012 तक रिपोर्ट भेजी जा सके ।

कृपया पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,  
  
(ए.के.सिंहा)  
निदेशक(सतर्कता)

## स्लोगन (सूक्तियों)

1. हितलाभार्थियों के अधिकार उनके द्वारा देय अंशदान के एवज में है, न कि रिश्वत के ।
2. भ्रष्टाचार गरीब विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी है ।
3. रिश्वत न दें । यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कोई रिश्वत मांगता है तो निम्नलिखित में किसी एक को सूचित करें ।

श्री अनिल कुमार अग्रवाल आई.ए.एस. महानिदेशक क.रा.बी.निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002	मुख्य सतर्कता अधिकारी, क.रा.बी.निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002	श्री प्रदीप कुमार, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता भवन, ब्लाक-ए, जी.वी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए. नई दिल्ली-110023
--	--	---

4. विलम्ब भ्रष्टाचार का पोषक है, विलम्ब न होने दें ।
5. कार्यकुशलता/दक्षता में थोड़ी कमी अथवा उपेक्षा सहनीय है किन्तु सत्यनिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है ।
6. सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भयमुक्त संरक्षक तथा भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी के लिए आंतक का स्रोत बनने दें ।—लाल बहादुर शास्त्री
7. पवित्र तरीके से कमाया गया धन फलता फूलता है। भ्रष्ट तरीके से कमाया गया धन नष्ट हो जाता है।
8. ईमानदार व्यक्ति ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना है ।—एलेक्जेंडर पोप
9. ऐसा कार्य मत करो जो पकड़े जाने पर नहीं करते ।
10. भ्रष्टाचारी के अनेक मालिक होते हैं, जबकि ईमानदार किसी का सेवक नहीं होता है ।
11. ईमानदार व्यक्ति का सुन्दर भविष्य प्रतीक्षा करता है भ्रष्ट व्यक्ति को उसका अतीत आतंकित करता है ।
12. प्रत्येक भ्रष्टाचारी के पीछे उसका लालची परिवार होता है ।
13. कार्य करें, कार्य करने की प्रतीक्षा न करें ।
14. भ्रष्टाचार रोकने का एक तरीका यह भी है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले उपायों को नियंत्रित करें ।—केन्द्रीय सतर्कता आयोग
15. गोपनीयता की संस्कृति से भ्रष्टाचार पनपता है ।
16. जब सतर्कता जागरूकता आएगी तब भ्रष्टाचार का अंत सुनिश्चित होगा ।
17. इस संसार में प्रत्येक की आवश्यकता हेतु पर्याप्त साधन है, परंतु उनके लालच हेतु नहीं ।
18. सत्य सदा सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी फलदायक है ।
19. आदमी वही है जो अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सके ।

(कृपया ध्यान दें—क्षेत्रीय कार्यालय इस अवसर हेतु सजग करने वाली उपयुक्त नई सुक्तियों बनाकर इन्हें सम्मिलित भी कर सकते हैं )



2(4)



सत्यमेव जयते



Telegraphic Address :  
SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address :  
cenvigil@nic.in

Website :  
www.cvc.nic.in

EPABX :  
24651001 - 07

फैक्स/Fax : 24616286

केन्द्रीय सतर्कता आयोग  
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,  
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023  
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,  
Block A, INA, New Delhi 110023

सं/नं. 012/VGL/063

दिनांक / Dated 28/09/2012

Circular No.16/08/12


**SUB : Observance of Vigilance Awareness Week – 2012.**

Central Vigilance Commission being the apex integrity institution of country, has been striving to promote integrity in various Central Government offices and public sector undertakings. Observance of Vigilance Awareness Week every year is a step towards this direction by the Commission whereby all the stake holders are enthused to fight corruption.

2. The Commission has decided that this year the Vigilance Awareness Week would be observed from 29<sup>th</sup> October (Monday) to 3<sup>rd</sup> November (Saturday) 2012. The observance of the Vigilance Awareness Week should commence with the pledge (copy enclosed) on 29<sup>th</sup> October, 2012 at 11:00 a.m. This year the theme of observing Vigilance Awareness Week is "Transparency in Public Procurement".

3. Substantive part of activities of a number of public organizations includes procurement of goods, works and other services. Integrity in public procurement therefore is a priority area in any anti-corruption strategy. The risk of corruption in public procurement is dependent on various factors like cost of the procurement, complexity of the technology involved, the urgency to acquire the goods or immediacy of the project and the extent of discretion enjoyed by the procurement officials. A sound procurement system should be able to address these risk factors. For emphasising transparency, accountability and probity in public procurement, the Commission is committed to raise awareness.

4. Apart from creating awareness, the Commission expects public organizations to introduce e-procurement, e-payment etc. by leveraging technology and make measurable progress in the days ahead in this regard. The Commission emphasizes the public officials to act with integrity, without any fear or favour. Wherever there is a knowledge gap with regard to public procurement, measures for proper capacity building should be undertaken.



स.नि. (का)  
14/12  
A.R.S.  
3/12

5 Ministries/ Departments/ PSUs/ Banks/ Organisations are advised to consider the following activities during the Vigilance Awareness Week .-

- i To display banners, posters etc. at prime locations in their offices.
- ii To organize seminars/ workshops inviting prominent faculty.
- iii To organize competitive debates/ lectures/essays on anti-corruption topics amongst the employees and the students in the colleges/ schools and to distribute prizes;
- iv To bring out special issue of journals during the period, and
- v To request the non-government organizations, institution and service associations in the local area to participate in the Vigilance Awareness campaign.

6. Public Sector Enterprises, societies and local authorities are also advised that message (pledge) may be read to Board of Directors by respective Chairman in the Board / Governing body meeting being held prior to the Vigilance Awareness Week. Public Sector Enterprises, Banks and Insurance Companies are advised to organize programmes regarding awareness against corruption among the youth by involving schools/ colleges in the local area through their units / branches.

7. A report about the manner in which the Week was observed may be sent to the Central Vigilance Commission by 15<sup>th</sup> December, 2012, by each organisation.

8. This notification is also available on the Commission's website at <http://cvc.nic.in>.

  
(K D Tripathi)  
Secretary

**Encl: As stated.**

To

- (i) The Secretaries of all Ministries / Departments of Government of India
- (ii) The Chief Secretaries of all States / Union Territories
- (iii) The Comptroller & Auditor General of India
- (iv) The Chairman, Union Public Service Commission
- (v) Chief Executives of all PSUs / Banks / Organizations
- (vi) All Chief Vigilance Officers in Ministries / Departments / PSEs / Public Sector Banks / Insurance Companies / Autonomous Organizations / Societies

### प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।

### PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANISATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANISATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR.